राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3925/2025

संजय कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

अति मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.08.2025
आदेश की दिनांक : 22.08.2025
अपीलार्थी की ओर से : **श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता**

समक्ष :– पूनम दरगन, (न्यायिक) सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला परिषद की सक्षम स्थाई समिति के अनुमोदन के पश्चात अध्यापक ग्रेड III लेवल प्रथम के पद पर वर्ष 2019 को बाडमेर जिले में हुई थी। वर्तमान में अपीलार्थी करीब 6 वर्षों से वर्तमान स्थान पर पदस्थापित है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के चयन उपरान्त पदस्थापन हो जाने के पश्चात रिवाईज रिजल्ट जारी किया गया था। अपीलार्थी का मेरिट अधिक हो जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान परिवर्तित नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी के साथ अन्य चयनित कार्मिकों का पदस्थापन मेरीट अनुसार बदलकर काफी कार्मिक का पदस्थापन गृह, जिले में कर दिया। अपीलार्थी स्वंय गम्भीर बीमारी से पीडित है अपीलार्थी के ब्रेन ट्यूमर है जिसका मस्तिष्क का बडा ऑपरेशन हुआ है। वर्तमान में अपीलार्थी का इलाज राज ट्रोमा एण्ड सुपर स्पेशलिस्ट होस्पीटल भरतपुर में इलाज 27–6–2025 जारी है कभी भी अपीलार्थी की स्थिति बीगड जाती है। अपीलार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी ने अपनी गम्भीर बीमारी ब्रेन ट्यूमर के आधार पर अतिम अभ्यावेदन दिनांक 1–7–2025 को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिया जिसमें अपना स्थानान्तरण रिक्त पद रा० उच्च प्रा०विद्यालय रामनगर 419766 पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर में चाहने हेतु दिया। परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर आज तक कोई विचार नहीं

किया गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी के वृद्ध माता पिता है एवं बच्चे अध्ययन रत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैन्च जयपुर याचिका संख्या 1665/2024 पवन कुमार मीणा बनाम राज्य पारित आदेश दिनांक 2–2–2024 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था कि कार्मिकों का प्राप्त अभ्यावेदन मा निस्तारण समय अवधि में किया जाना चाहिये परन्तु सक्षम अधिकारी प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तारण समय अवधि में नहीं करते है इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाईड लाइन जारी की गई थी जिस पर राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार ग्रुप–1 विभाग आदेश दिनांक 19–2–2024 माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान अधिनस्थ कार्यालय से प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तारण करें साथ ही आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का परीक्षण उपरान्त गुण व अवगुण पर समयबद्ध अवधि में निस्तारण करें यहां पर यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि भले कोई अधिनियम का नियम में राज्य के उपर अधिरोपित नहीं है। परन्तु सेवा न्याय शास्त्र एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा राज्य पने कर्मचारी के हित को ध्यान में रखने के लिए प्रतिबन्धित है ।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में दिया गया अभ्यावेदन दिनांक 1–7–2025 का निस्तारण करवाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order)

प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
(न्यायिक)सदस्य